बाबू लाल बनाम भैरूलाल

अपील संख्या : 19/326

28.08.2019	पत्रावली पेश हुई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता उपस्थित । अपील एडमिशन पर अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस सुनी गई । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है जिसके कारण मौके पर लडाई झगडे की स्थिति पैदा हो गई है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का कब्जा नहीं है । स्थगन आदेश की आड में वो कब्जा करने पर आमादा हैं । इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 25.01.2019 को अपील बंशीलाल, सोहन लाल की खारिज की गई है और प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में चल रहा है । पुनः नया दावा पेश किया गया है और उसमें अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवायी है । अतः अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2000(3) (एससी) पेज 488 उद्धरत की । हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने स्थगन आदेश दिनांक 19.07.2019 के खिलाफ अपील पेश की है । स्थगन आदेश दिनांक 19.07.2019 आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.08.2019 तक के लिए प्रदान किया गया है और यह स्थगन आदेश प्रतिवादी क्रम 2 से 6 की सहमति से जारी किया गया है । इसके उपरान्त दिनांक 05.08.2019 और 19.08.2019 की आदेशिका के अनुसार स्थगन आदेश आगे नहीं बढाया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.01.2018 से लम्बित था जिसमें अप्रार्थीगण ने 19.07.2019 तक कोई जवाब पेश नहीं किया है । अपील अप्रार्थीगण क्रम 1 से 7 और 8 के द्वारा पेश की गई है जिनके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा कार्यवाही की गई थी और दिनांक 19.08.2019 की आदेशिका के अनुसार अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में एकतरफा कार्यवाही निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और शेष अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने से यह प्रमाणित होता है कि स्थगन अंतरिम रूप से दिनांक 05.08.2019 तक दिया गया है इसके बाद अंतरिम स्थगन आदेश को बढाया जाना भी पेश की गई आदेशिका से प्रमाणित नहीं होता है । तद्नुसार अंतरिम आदेश की अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 28/8/19 (भागवंती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा